




राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ-4()पौ.सं./तक-2/यंत्र पंजी./2017-18/3350-3450 दिनांक : 30/05/2017

शुद्धि-पत्र

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ 4 ()पौ.सं./तक-2/यंत्र पंजी./2017-18/2560-2743 दिनांक 19.05.2017 को जारी पंजीकृत पौध संरक्षण उपकरणों के निर्माताओं एवं उनके द्वारा निर्मित यंत्रों की बीआईएस. प्रमाण पत्र के आधार पर जारी सूची में सहवन से क्र.सं. 09 में निर्माता का नाम मैसर्स मसंद एग्रीटेक के स्थान पर मैसर्स मसंद एग्रो इक्यूमेंट अंकित हो गया है। अतः मैसर्स मसंद एग्रो इक्यूमेंट के स्थान पर मैसर्स मसंद एग्रीटेक पढा जावें।


30-5-17


(एच.एस.मीना)

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)
कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ-4()पौ.सं./तक-2/यंत्र पंजी./2017-18/3350-3450 दिनांक : 30/05/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- (1) समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
- (2) परियोजना निदेशक, सीएडी, कोटा
- (3) समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड
- (2) समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद/आईजीएनपी. बीकानेर
- (3) समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)
- (4) पौध संरक्षण यंत्र निर्माता मैसर्स
- (5) सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
- (6) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।


30-5-17

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)
कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर